न्यायालयः विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या–14 ,बुलन्दशहर ।
उपस्थित : चन्द्र विजय श्रीनेत, एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्या–842/2024

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

1. प्रमोद पुत्र रमेश चन्द्र
2. श्रीमती रेखा पत्नी प्रमोद

निवासीगण मौ0 ज्ञान लोक कालोनी, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

अपराध संख्या–998/2022
धारा–504,308,323,354,506
भारतीय दण्ड संहिता
थाना–को0नगर, बुलन्दशहर।

निर्णय

1. अभियुक्तगण प्रमोद व श्रीमती रेखा के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर की पुलिस द्वारा अपराध संख्या 998/2022 अन्तर्गत धारा–504,308,323,354,596 भा0द0सं0 में प्रस्तुत आरोप पत्र पर उनका विचारण किया गया।

2. संक्षेप में, अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा जानकी देवी पत्नी श्याम चन्द, निवासी मोहल्ला ज्ञान लोक कालोनी, मऊखेडा, थाना कोतवाली नगर जिला बुलन्दशहर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर को प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया कि दिनांक 04.11.2022 को समय करीब 09:30बजे सुबह की बात है, वह व उसकी पुत्री सोनम घर पर अकेली थी, तो पडोस में रहने वाले प्रमोद पुत्र रमेश चन्द व श्रीमती रेखा पत्नी प्रमोद, जो उससे रंजिश रखते हैं, अपने साथ मुन्ना पुत्र रमेश चन्द व देवपाल पुत्र रमेश चन्द को लेकर गाली गलौच करते हुए उसके घर में घुस आये। उनके हाथों में डण्डे व लोहे का सरिया था। उक्त सभी लोग प्रमोद, श्रीमती रेखा, मुन्ना, देवपाल ने गाली गलौच करते हए जान से मारने की नियत से उसे साथ डण्डो व सरिया से मारपीट शुरू कर दी, जिसे उसके सिर में काफी गम्भीर चोटें आयी और वह बेहोश होकर गिर गयी। उसकी बेटी ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उक्त

Digitally signed by CHANDRA VIJAY SRINET
Date: 2026.08.13 16:38:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लोगो ने उसकी बेटी के साथ लात घूसो से मारपीट की और प्रमोद ने उसकी बेटी के साथ बदनियती से गन्दी हरकते की। चीख पुकार पर मोहल्ले के काफी लोग आ गये। उक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गये। उसकी पुत्री उसको लेकर थाने गयी और जहॉ उसने तहरीर दी। पुलिस ने उसका अस्पताल में मेडिकल कराया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

3. वादिनी मुकदमा के इस प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 998/2022 धारा 504,542,307,308,323,354,506 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना अमल में लाई गई।

4. बाद विवेचना अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध धारा–308,323,354,504,506 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त रेखा के विरूद्ध धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बुलन्दशहर के आदेश दिनांकित 05.06.2024 के द्वारा अभियुक्तगण के उपरोक्त मामला विचारण हेतु सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया।

5. अभियुक्तगण को सत्र न्यायालय में तलब किया गया। दिनांक 16. 07.2024 को अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध धारा 323/34, 308,354,504,506 भा0द0सं0 तथा अभियुक्ता रेखा के विरूद्ध धारा 323/34, 504,506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया और विचारण की याचना की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में पी0डब्लू01 वादिनी मुकदमा जानकी, पी0डब्लू02 सोनम, पी0डब्लू03 डा0 राजबहादुर, पी0डब्लू04 उपनिरीक्षक अंकित कुमार, पी0डब्लू05 डा0 पुष्पेन्द्र कुमार, पी0डब्लू06 हे0का0 अनुज कुमार को परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श क–1, पीडिता का बयान अन्तर्गत धारा 164द0प्र0सं0 प्रदर्श क–2, चुटहिल जानकी की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–3, चुटहिल सोनम की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–4, चुटहिल जानकी की पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क–5, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क–6, एक्सरे फिल्म वस्तु प्रदर्श 1,2,3,4, नक्शानजरी प्रदर्श क–7, आरोपपत्र प्रदर्श क–8, सी.डी. वस्तु प्रदर्श 5 व 6, अल्ट्रासाउण्ड स्लिप प्रदर्श क–9, मेडिको लीगल रिपोर्ट प्रदर्श क–10, चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–11 व नकल जी0डी0 कायमी मुकदमा प्रदर्श क–12 प्रस्तुत कर साबित किए गए हैं ।

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0स0 अभिलिखित किये गये जिसमें उन्होने अभियोजन कथानक व अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए, मुकदमा रंजिशन झूॅठा दर्ज कराया जाना बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

9. अभियुक्त प्रमोद द्वारा अपने विशेष कथन में कहा गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूॅठा फंसाया गया है।

अभियुक्ता रेखा ने अपने विशेष कथन में कहा है कि मुकदमा बिलकुल झूँठा है, उसने कुछ नहीं किया है।

10. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा यह तर्क दिया गया कि घटना में चुटहिल जानकी एवं घटना की चक्षुदर्शी साक्षी सोनम ने अभियोजन कथानक को अपने मौखिक साक्ष्य से साबित किया है जिसका समर्थन चिकित्सीय प्रपत्र प्रदर्श क–3, क–4 व क–5 से भी होता है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया जाये।

11. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि घ टना दिनांक 04.11.2022 की बतायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.11.2022 अर्थात लगभग आठ दिन बाद को दर्ज की गयी है और इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। साक्षी पी0डब्लू01 तथा साक्षी पी0डब्लू02 के बयानो में परस्पर विरोधाभाष है। मेडिकल भी संदेहास्पद है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

12. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

13. अभियुक्त प्रमोद के विरूद्व आरोप है कि दिनांक 04.11.2022 को सुबह 09:30बजे स्थान वादिनी मुकदमा का घर ज्ञान लोक कालोनी, थाना कोतवाली नगर जिला बुलन्दशहर में उसने वादिनी मुकदमा को गालिया देकर उसको डण्डे व सरिया व उसकी पुत्री को लातघूसे मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, वादिनी मुकदमा के सिर पर प्रहार गम्भीर चोटे पहुँचाकर आपराधिक मानव वध कारित किया तथा वादिनी मुकदमा की पुत्री की लज्जा भंग की तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

14. अभियुक्ता रेखा के विरूद्व यह आरोप है कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर उसने वादिनी मुकदमा को गालिया देकर उसको डण्डे व सरिया व उसकी पुत्री को लातघूसे मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

15. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये उक्त आरोपों को सिद्व करने हेतु कुल 06 साक्षीगण को परीक्षित कराया है।

16. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू01** वादिनी मुकदमा जानकी देवी ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 04.11.2022 समय साढे नौ बजे की है। वह व उसकी बेटी सोनम घर पर अकेले थे। पडोस में रहने वाले प्रमोद व उसकी पत्नी रेखा, मुन्ना व देवपाल एक राय होकर घर में घुस आये। उनके हाथों में जिसमें रेखा के हाथ में डन्डा, प्रमोद के हाथ में सरिया तथा देवपाल व मुन्ना के हाथ में डण्डे थे। गाली गलौच करते उसके घर में घुस आये और उन लोगों ने जान से मारने की नियत से डण्डो व सरिया से मारपीट करनी शुरू कर दी। सरिया प्रमोद ने

सिर में मारा था। उसकी लडकी सोनम ने उन लोगों से उसे बचाया। प्रमोद ने उसकी बेटी सोनम के साथ लातघूसो से मारपीट की और बदनियती से उसकी लडकी सोनम के अंगो को छुआ था। चीख पुकार पर आस पडोस के मोहल्ले के लोग आ गये। वह बेहोश हो गयी थी। जब उसे होश आया तो उसकी बेटी उसे थाने ले गयी। थाने में जाकर उसने प्रार्थनापत्र दिया था। उसका मेडिकल पुलिस द्वारा कराया गया था। दरोगाजी ने उसका बयान लिया था। साक्षी ने पत्रावली पर कागज संख्या 4ए/1 को देखकर कहा कि यह तहरीर वही है जो उसने एस.एस.पी. को दी थी। उस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

17. प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि वह केवल अंगूठा लगाना जानती है। उसका घर और प्रमोद का घर बराबर–बराबर में है। उसके घ ार की दीवार और प्रमोद के घर की दीवार मिली हुई है। उसके घर के आगे पक्की नाली है। नाली का पानी उसके घर से प्रमोद की घर की ओर बहता है। सभी घरो का पानी नाली में ही बहता है। जिस समय की घटना है उस समय न ज्यादा गर्मी थी और न ज्यादा सर्दी थी। वह महीनों के नाम नहीं जानती है। उसे यह नहीं मालूम कि कौन सा महीना चल रहा है और न ही वह महीनों के नाम अंग्रेजी व हिन्दी में जानती है। उसे घडी देखनी नहीं आती है। यह कहना गलत है कि नाली के पानी के बहाव के रोकथाम व फुलवारी के लगाने के ऊपर कई बार गाली गलौज व लडाईयॉ हो चुकी है,जिसके मामले सिटी मजिस्ट्रेट के यहॉ चल रहे हैं और न ही कोई मुकदमा उसके विरूद्ध सिटी मजिस्ट्रेट के वहॉ चल रहा है। उसे उसकी बेटी ने बचाया था। मारपीट होने पर मोहल्ले वाले चीख पुकार सुनकर आये थे, पर बाहर ही रहे थे। कौन–कौन थे,उसे नहीं पता। वह मारपीट से बेहोश हो गयी थी। जब उसे होश आया तो उसकी बेटी सोनम उसे थाने ले गयी थी। जब वह थाने गये थे तो उन्होंने लिखित में शिकायत दी थी। जो उसकी बेटी ने हाथ से लिखकर दी थी। लेडीज पुलिस गयी थी, उसने मेडिकल कराया था। जो शिकायत उसकी बेटी ने लिखकर दी थी,उस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। दो दिन बाद उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था। दिनांक 10.11.2022 को प्रार्थनापत्र दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जो प्रार्थनापत्र दिया था, वह उसने बोल कर टाईप कराकर लिखवाया था। घटना के समय उसके लडके मौजूद नहीं थे, जो घटना है वह घर के अन्दर की है। घटना के समय सी.सी.टी.वी. कैमरा नहीं था। लेकिन बाद में लगवा लिया। यह कहना गलत है कि पुरानी रंजिश की वजह से बदले की भावना से उसके परिवार ने प्रमोद व रेखा को पीटा हो। सभी ने मिलकर उसके साथ डण्डो से मारपीट की थी। उसके सिर में दो जगह चोटे आयी थी। वह सरकारी अस्पताल में दो दिन भर्ती रही थी।

18. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू02** सोनम ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 04.11.2022 को समय करीब साढे नौ बजे वह व उसकी मम्मी जानकी घर पर अकेली थीं। तभी उनके पडोसी प्रमोद, मुन्ना, देवपाल व रेखा गाली गलौच करते हुए घर में घुस आये। प्रमोद व

देवपाल व मुन्ना रमेश के पुत्र हैं तीनो सगे भाई हैं। यह उपरोक्त सभी मुल्जिमान उसके घर में घुस आये। प्रमोद के हाथ में सरिया, देवपाल, मुन्ना व रेखा के हाथ में डण्डे थे। प्रमोद ने लिये हुए सरिये से उसकी मम्मी के सिर में वार किया, जिससे उसकी मम्मी के गम्भीर चोटे आयी, उसकी मम्मी वही बेहोश हो गयी। वह बचाने आयी तो उसके साथ भी प्रमोद, मुन्ना व देवपाल ने मारपीट की तथा उसके कपडे फाड दिये तथा गंदी नियत से उसके साथ अश्लील हरकत की तथा उसकी छाती दबाई तथा उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। उन लोगों ने उसकी मम्मी के साथ डन्डो से भी मारपीट की। उसने फिर शोर मचाया तो यह लोग उसके साथ मारपीट करके जान से मारने की धमकी देते हुए पडोसी लोगों देखकर भाग गये। उसका धारा 164द0प्र0सं0 का बयान भी हुआ था। उसका बयान धारा 161द0प्र0सं0 का का0 राखी ने लिया था। जो बयान उसने राखी को दिया था, वह पत्रावली पर कागज संख्या 8ए के रूप में मौजूद है। उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय के आदेश से पीडिता का धारा 164 द0प्र0सं0 का बयान खोला गया। पीडिता को उसका बयान धारा 164द0प्र0सं0 दिखाया गया तो उसने कहा कि इस पर उसका फोटो व हस्ताक्षर है तथा यह वही बयान है जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

19. अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि प्रमोद व रेखा का घर उसके घर की दीवार से मिला हुआ है। उसके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलता है। प्रमोद का घर उसके घर से पश्चिम में है। मारपीट के बाद जब वह थाने गयी थी तो तहरीर उसने लिखकर थाने पर दी थी। उसी पर उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। मारपीट में चोटें उसे व उसकी मां को आयी थी। वह अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे। उसे जानकारी नहीं है कि प्रमोद बच्चो को स्कूल छोडकर घटना के दस मिनट बाद आया था या नहीं। उसे नहीं मालूम कि दिनांक 04.11.2022 को समय करीब 9:30बजे सुबह उसने किस रंग के कपडे पहन रखे थे। उस समय सर्दी का मौसम था। उसे अंदरूनी चोटें आयी थी। उसे पीठ पर, छाती पर, कंधे पर और पेट पर चोटें आयी थी। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श क–1 उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। जो इसमें लिखा गया है, वह उसकी जानकारी में है। उसकी माताजी तीसरी क्लास तक पढी है। उसकी मम्मी बैंक खाता चलाती हैं। वह हस्ताक्षर करती है। घटना के समय बीच–बचाव करने मोहल्ले के कौन–कौन लोग आये, उसे याद नहीं है। घटना को चौथा साल चल रहा है। उसके घर पर दरोगाजी आये थे। उसे नहीं पता कि उन्होंने क्या–क्या कार्य किया था। उस समय वह घर पर मौजूद नहीं थी। उसके बयान दरोगाजी ने थाने पर लिखे थे। घटना में उसने अपनी मां को बचाया था। उसे पडोस के लोगों ने बचाया था जो चीख पुकार पर आ गये थे। उनके नाम उसे आज तक नहीं पता हैं। प्रमोद के हाथ में सरिया था, रेखा, मुन्ना व देवपाल के हाथ में डण्डे थे। सरिया का इस्तेमाल सिर फाडने में किया जाता है। लाठी के बराबर डण्डे थे। जान से मारने की धमकी देते हुए

प्रमोद, मुन्ना, देवपाल और रेखा उसके घर से भाग गये। इस मारपीट में वह बेहोश नहीं हुई थी, उसकी मम्मी बेहोश हो गयी थी। वह अपनी बेहोश मां को सबसे पहले थाने ले गयी थी। उसकी मां का एक्सरे पुलिस द्वारा कराया गया था।

20. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू03** डा0 राजबहादुर ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 04.11.2022 को करीब 12:15 पी.एम. महिला होमगार्ड आरती देवी द्वारा चुटैल जानकी देवी उम्र 45वर्ष ज्ञान लोक कालोनी कोतवाली नगर का मेडिकल उनके द्वारा किया गया। जिसमें चोटों का विवरण निम्न प्रकार है–

1. L/W जिसका साईज 3X 5सेमी left side scalp bonedeep 7cm abaue left ear एक्सरे का एडवाईज किया गया खोपडी का।
2. trometic soiling of 3 x2cm right side scalp 8cm दाये कान से ऊपर ।
3. Red contiution 5 x2cm left side गर्दन पर ऊपर की तरफ
4. Red contiution 4x3cm दाये कंधे के ऊपर जिसका एक्सरे एडवाईज कियाा गया
5. Red contiution 7x 2cm कमर के बांये साईड निचले हिस्से पर
6. Red contiution 5 x2cm कमर के दाये तरफ निचले हिस्से पर
7. trometic soiling 10 x8cm बाये घुटने पर जिसका एक्सरे एडवाईज किया गया।

छाती में दर्द की शिकायत चोट नम्बर 1,4,7 को छोडकर बाकी चोटे साधारण थी। चोट फ्रेश थी। हार्ड ब्लड ऑपजक्ट द्वारा आयी थी। मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या 10ए के रूप में मौजूद है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। दिनांक 28.11.2023 को 7:35पी.एम. महिला का0 सुशीला द्वारा सोनम मजरूब उम्र 28वर्ष ज्ञान लोक कालोनी लाया गया, जिसका मेडिकल उनके द्वारा किया गया जिसमें सोनम द्वारा उसके प्राईवेट पार्ट पर चोट होने की शिकायत की गयी। घटना दिनांक 04.11.2022 की बतायी गयी थी। इस चोट को वह पहले महिला अस्पताल दिखा चुकी थी जिसके लिये अल्ट्रा साउण्ड एडवाईज किया जा चुका था। मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या 10ए/4 के रूप में मौजूद है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। दिनांक 10.12.2022 समय 1बजे करीब उसके द्वारा जानकी देवी की पूरक रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें चोट नम्बर 1,4,7 के लिये एक्सरे की सलाह दिये गये थे। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार (उसके कोई) मजरूब जानकी देवी के कोई फैक्चर नहीं पाया गया जिसे उसकी चोट का प्रकार सामान्य था। पूरक रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या 10ए/5 के रूप में मौजूद है जिस पर उनके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। एक्सरे रिपोर्ट जानकी देवी पत्रावली पर कागज संख्या 10ए/6 के रूप में मौजूद है, जिसके आधार पर पूरक रिपोर्ट बनायी थी। एक्सरे रिपोर्ट पर डा0 आशीष प्रकाश रेडियोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। एक्सरे फिल्म पत्रावली

पर मौजूद है, जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1, 2, 3, 4 डाला गया है। विवेचक द्वारा उनका बयान लिया गया था।

21. अभियुक्तगण द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि मेडिकल में जो चोटें हैं वह सामान्य चोटें हैं। ऐसी चोटें हाथापाई से आ सकती है। एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार कोई हडडी टूटी हुई नहीं है और न ही कोई गम्भीर चोट है।

22. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू04** उपनिरीक्षक अंकित कुमार ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.11.2022 को मुकदमा अपराध संख्या 998 दिनांक 12.11.2022 अन्तर्गत धारा 504,452,307,308,323,354,506 भा0द0सं0 बनाम प्रमोद आदि की विवेचना उसके द्वारा प्रारम्भ की गयी। दिनांक 13.11.2022 को सी.डी.–1 किता की गयी,जिसमें नकल चिक, नकल रपट, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट वादिया, बयान एफ.आई.आर लेखक अंकित किये गये। दिनांक 15.11.2022 सीडी 2 किता की गयी जिसमें तलाश वादिया अंकित की गयी। दिनांक 20.11. 2022 को सी.डी.3 किता किया गया जिसमें बयान वादिया जानकी देवी व निरीक्षण घटना स्थल अंकित किया गया व घटना का नक्शानजरी उसके द्वारा बनाया गया था जो पत्रावली पर कागज संख्या 7ए के रूप में है जिस पर उसके हस्ताक्षर है,जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। दिनांक 23.11.2022 को सी.डी.4 किता किया गया जिसमें मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक डा0 राजबहादुर सिंह को तलाश किया जाना अंकित है, नहीं मिल सके। दिनांक 28.11.2022 को सीडी–5 किता किया गया जिसमें बयान पीडिता सोनम अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 दर्ज किया जाना अंकित है। दिनांक 29.11.2022 को सी.डी.–6 किता किया गया जिसमें पीडिता सोनम की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया जाना अंकित है। समय अभाव के कारण बयान 164 द0प्र0सं0 दर्ज नहीं किये जा सके। दिनांक 30.11.2022 को सी.डी.–7 किता किया गया जिसमें बयान 164 द0प्र0सं0 दर्ज किया गया। दिनांक 06.12.2022 को सी.डी.–8 किता किया गया । जिसमें बयान धारा 164 द0प्र0सं0 का अवलोकन किया गया व वांछित अभियुक्तगण की तलाश हेतु दबिश दी गयी । दिनांक 07.12.2022 को सी.डी.–9 किता किया गया जिसमें तलाश वांछित अभियुक्तगण किता की गयी। दिनांक 10.12.2022 को सी.डी.–10 किता किया गया। जिसमें बयान चिकित्सक दर्ज किया जाना व मेडिकल रिपोर्ट व बयान चिकित्सक के आधार पर धारा 307 का लोप किया गया। दिनांक 11.12.2022 को सी. डी.–11 किता किया जिसमें बयान गवाहान राजू, अनिता, चन्द्रप्रभा, सविता दर्ज किये गये। दिनांक 16.12.22 का सी.डी.–12 किता किया गया जिसमें स्वतंत्र गवाह रणजीत सिंह, मदन सिंह, ओमपाल सिंह, अजय कुमार, नूर मोहम्मद, कुन्दु, भवतोष कुमार, शिवानी सिंह, दर्ज किये गये तथा घटना से संबंधित विडियो जिसमें अनिल व सुनील, प्रमोद के बीच सडक पर गाली गलौच व मारपीट होना दिखाई दे रहा है। सी.डी. को अवलोकन कर संलग्न सी.डी. किया गया तथा विवेचात्मक कार्यवाही के आधार पर धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता का लोप किया गया। अभियुक्तगण मुन्ना व

देवपाल की नामजदगी झूँठी पायी गयी। दिनांक 17.12.2022 को तामीला नोटिस अन्तर्गत धारा 41ए द0प्र0सं0 व बयान अभियुक्त प्रमोद व रेखा दर्ज किये गये। सी.डी. पत्रावली पर मौजूद है जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 5 व 6 डाला गया। आरोपपत्र अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध धारा 308,323,354,504,506 भा0द0सं0 व अभियुक्ता रेखा क विरूद्ध धारा 323,504,506 भा0द0सं0 बखूबी साबित है, माननीय न्यायालय पेश किया गया चार्जशीट पत्रावली पर कागज संख्या 3ए/1 ता 4 के रूप में मौजूद है,जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया है।

23. अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि संबंधित घटना थाना कोतवाली नगर से संबंधित है। वह थाना कोतवाली नगर में मार्च 2022 से लगभग अक्टूबर 2023 तक तैनात रहा है। यह मुकदमा अपराध संख्या 998/2022 का वाद है। प्रार्थनापत्र शायद कप्तान साहब के यहॉ दी गयी, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसे विवेचना दिनांक 12.11.2022 को सुपुर्द हुई। मुकदमा दर्ज होने के बाद सबसे पहले वादिया के बयान 20.11.2022 को उसके मस्कन पर लिखे गये थे। पीडिता सोनम के बयान थाना हाजा पर अन्तर्गत धारा 161द0प्र0सं0 अंकित किये गये थे तथा धारा 164द0प्र0सं0 के बयान माननीय न्यायालय में दर्ज हुए। उसने स्वयं घटनास्थल पर जाकर नक्शानजरी बनाया था। वादिया व अभियुक्त का मकान सटे हुए हैं। घटना के समय घटना स्थल वाली गली में सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगे थे। इस घटना की बावत मोबाइल के द्वारा विडियो बनाई गई थी, जो उसे विवेचना के दौरान दी थी जो विवेचना में सम्मिलित की गयी थी। चिकित्सक के बयान के आधार पर चोटे साधारण प्रकृति की थी,उसे एक्सरे की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी। उसने मेडिकल रिपोर्ट में दर्शायी गयी चोटों के आधार पर धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता का आरोपपत्र प्रेषित किया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का लोप किया गया है।

24. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू05** डा0 पुष्पेन्द्र कुमार ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.11.2022 सायं 7:00बजे उसकी तैनाती लेवर के.एम.सी. हॉस्पिटल बुलन्दशहर पर थी। उसके पास सोनम उम्र 28वर्ष को होमगार्ड सुशीला द्वारा मेडिकल रिपोर्ट के लिये लाया गया। जिसमें कुमारी सोनम ने आंतरिक जॉच कराने से मना कर दिया और पेट दर्द की शिकायत की। जिसके लिये उसके द्वारा अल्ट्रासाउण्ड की सलाह दी गयी एवं अन्य बाहय परीक्षण के लिये बी.बी.डी. हॉस्पिटल बुलन्दशहर के लिये रैफर कर दिया गया । मेडिकल रिपोर्ट व अल्ट्रासाउण्ड रैफर स्लिप उसके द्वारा बनायी गयी थी। एक्सरे स्लीप पत्रावली पर कागज संख्या 10ए/2 के रूप में मौजूद है जो उसके द्वारा बनायी गयी थी। जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। मेडिको लीगल रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या 10ए/3 के रूप में मौजूद है जो उसके द्वारा बनायी गयी थी, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। विवेचक महोदय द्वारा उसका बयान लिया गया था।

25. अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा

है कि उसने सोनम का मेडिकल नहीं किया, क्योकि उसने मना कर दिया था। वह महिला के सम्पूर्ण शरीर का मेडिकल कर सकता है जिसमें महिला स्टॉफ नर्स साथ में रहती है। उसने सोनम के शरीर की कोई जॉच नहीं की। उसने उसके पेट दर्द बताने पर अल्ट्रासाउण्ड की सलाह दी थी।

26. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू06** एच.सी. अनुज कुमार ने विडियो कान्फ्रेन्सिंग द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.11.2022 को उसकी डयूटी थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर पर सुबह 8बजे से रात्रि 8बजे तक बतौर सी.सी. थी। उस दिन प्रार्थीया जानकी देवी की टाईपशुदा तहरीर जिस पर एस.एच.ओ. महोदय का अभियोग पंजीकृत करने का लिखित आदेश था। मु0अ0सं0 998/2022 दिनांक 12.11.2022 अन्तर्गत धारा 504,452,307,308,323,354,506 भा0द0सं0 सरकार बनाम प्रमोद आदि शब्द व शब्द अंकित किये थे। एफ.आई.आर. पत्रावली पर कागज संख्या 4ए/1 ता 4ए/3 के रूप में मौजूद है जो उसके द्वारा किता की गयी थी, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। इस मुकदमें की जी.डी.नम्बर 36 समय 14:41 दिनांक 12.11.2022 उसके द्वारा किता की गयी जो पत्रावली पर कागज संख्या 6ए के रूप में मौजूद है, उस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। विवेचक द्वारा उसके बयान लिये गये थे।

27. अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि घटना के समय उसकी डयूटी सुबह 8:00बजे से रात के 8:00बजे तक की थी। घटना की प्रविष्टि रोकी जाती है वो जी.डी. ऑन लाईन की जाती है। उसे डाक द्वारा प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर एफ. आई.आर. लिखी थी।

28. साक्षी पी0डब्लू01 के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य से स्पष्ट है कि यह मुकदमा तब पंजीकृत हुआ, जब उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिनांक 10.11.2022 को प्रार्थनापत्र दिया। इस साक्षी ने अपने इस प्रार्थनापत्र को विधिनुसार साबित किया है,जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

29. जहॉ तक घटना के आठ दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने और इस विलम्ब का स्पष्टीकरण न दिये जाने का तर्क बचाव पक्ष द्वारा उठाया गया है, उसके संबंध में स्पष्ट करना है कि इस विलम्ब का स्पष्टीकरण साक्षी पी0डब्लू01 के सशपथ साक्ष्य से होता है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि घटना के बाद वह अपनी बेटी के साथ थाने गयी थी और वहॉ पर लिखित में शिकायत की थी, किन्तु उस पर रिपोर्ट दर्ज नही हुई, तब उसने दिनांक 10.11.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था, जिसके आधार पर यह मुकदमा दिनांक 12.11.2022 को पंजीकृत हुआ है।

30. बचाव पक्ष का यह तर्क कि यदि 10.11.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया गया,तब भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से दिनांक 12.11.2022 को अंकित की गयी और इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । बचाव पक्ष के इस तर्क के संबंध में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू06 हेड का0 1086 अनुज कुमार के सशपथ

साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे डाक द्वारा प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी थी। इसप्रकार इस साक्षी ने इस विलम्ब का भी स्पष्टीकरण दे दिया है और इस विलम्ब का कारण वादिनी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 10. 11.2022 को डाक से प्राप्त होना बताया है। डाक से प्रार्थनापत्र संबंधित थाने में भेजे जाने पर 1–2 दिन का विलम्ब होना स्वाभाविक है। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखे जाने के कारण अभियोजन मामले को विफल माना जाये, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

31. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 04.11.2022 सुबह लगभग 9:30बजे की है। जिसका समर्थन साक्षी पी0डब्लू01 जानकी एवं साक्षी पी0डब्लू02 सोनम के सशपथ मौखिक साक्ष्य से होता है। इन दोनो ही साक्षीगण ने अपने सशपथ साक्ष्य में घटना की तिथि 04.11.2022 तथा समय लगभग 9:30बजे सुबह होना बताया है। इन दोनों साक्षीगण ने घ टना स्थल भी अपना घर होना बताया है,जिससे घटना का दिनांक, समय व घटना स्थल युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है।

32. साक्षी पी0डब्लू01 ने अपने सशपथ साक्ष्य में आरोपित अभियुक्तगण प्रमोद व रेखा द्वारा उसके साथ मारपीट करना कहा है, जिसका समर्थन पी0डब्लू02 सोनम ने भी अपने सशपथ साक्ष्य में किया है और इन दोनों साक्षीगण के साक्ष्य का समर्थन अभियोजन साक्षी पी0डब्लू03 डा0 राजबहादुर के सशपथ साक्ष्य से होता है जिसमें उन्होनें दिनांक 04.11. 2022 को समय करीब 12:15पी.एम. पर होमगार्ड आरती देवी द्वारा चुटहिल जानकी देवी को जिला चिकित्सालय ले आना कहा है और उनके चोटों का मेडिकल स्वयं द्वारा करना बताया है। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार यह चोटे ताजी थी और किसी कठोर कुन्दाले से आना सम्भव थी। इस साक्षी ने जानकी देवी के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। किन्तु इस साक्षी ने यह भी कहा है कि रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चुटहिल जानकी देवी को कोई फैक्चर होना नहीं पाया गया था और उन्हें आयी चोटे सामान्य प्रकृति की थी, जो हाथपाई से आ सकती थी।

33. इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू01, पी0डब्लू02 सोनम व पी0डब्लू03 डा0 राजबहादुर के मौखिक साक्ष्य जिसका समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श क–3 चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से होता है, से वादिनी मुकदमा जानकी के साथ आरोपित अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। परन्तु यह सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी और इनमें से ऐसी कोई चोट नहीं बतायी गयी जो मृत्यु कारक हो या जिससे मृत्यु होना सम्भव हो सकता था,तब ऐसी स्थिति में धारा 308 भा0द0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

34. जहॉ तक धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है,इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी मुकदमा की बेटी के साथ गन्दी हरकत

किये जाने का कथन किया गया है, किस प्रकार की गन्दी हरकत की गयी इसका कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया है। इस संबंध में साक्षी पी0डब्लू02 सोनम ने अपने सशपथ साक्ष्य में यह कहा है कि प्रमोद ने उसके कपडे फाड दिये थे और उसके साथ अश्लील हरकत की थी और उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। इसी बिन्दु में साक्षी पी0डब्लू03 डा0 राजबहादुर के साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें इस साक्षी ने यह कहा है कि सोनम द्वारा उसके प्राईवेट पार्ट में चोट होने की शिकायत की गयी। इस चोट को वह पहले महिला अस्पताल दिखा चुकी थी, जिसके लिये उसका अल्ट्रासाउण्ड कराने का सुझाव दिया गया था। इसी बिन्दु पर साक्षी पी0डब्लू05 डा0 पुष्पेन्द्र कुमार के साक्ष्य का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि सोनम ने अपने आंतरिक प्राईवेट पार्ट का मेडिकल कराने से मना कर दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि सोनम द्वारा स्वयं ही अपना मेडिकल परीक्षण कराने से इंकार किया गया है अतः ऐसी स्थिति में उसके प्राईवेट अंगो पर चोट पहुॅचाई गई हो, यह साबित नहीं होता है। अतः इस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

35. अभियुक्तगण पर विरचित धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 जानकी ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में गाली गलौच करते हुए घर में घुस आने का कथन किया है, किन्तु किस प्रकार की गाली थी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी पी0डब्लू02 सोनम ने भी अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में क्या गाली दी गयी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, अपितु केवल गाली गलौच करने का कथन किया है। ''गाली गलौच'' शब्दावली अत्यन्त व्यापक और भ्रामक है। इसमें गालियो के साथ–साथ आवेश में कहे गये शब्द भी समावेश होते हैं। अतः जब तक अभियोजन साक्ष्य यह नहीं दर्शित करता कि उन्हें किस प्रकार की गाली दी गयी तब तक धारा 504 भा0द0सं0 आकृष्ट नहीं हो सकती। अतः ऐसी स्थिति अभियुक्तगण पर धारा 504 भा0द0सं0 का आरोप भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

36. धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के संबंध में साक्षी पी0डब्लू02 सोनम ने यह कहा है कि उसके शोर मचाने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए पडोसी लोगों को देखकर भाग गये। यहॉ उल्लेखनीय है कि यह जान से मारने की धमकी देना एक मारपीट की घटना के क्रम में किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है।

37. बचाव पक्ष की ओर से एक तर्क यह दिया गया कि साक्षी पी0डब्लू01 ने अपने सशपथ साक्ष्य में यह कहा है कि वह केवल अंगूठा लगाने जानती है जबकि साक्षी पी0डब्लू02 सोनम ने कहा है कि उसकी मां कक्षा 3 तक पढी है और वह हस्ताक्षर कर लेती है और इस आधार पर इन दोनो साक्षीगण के बयानो में विरोधाभाष का होना बताया गया और यह

तर्क दिया गया कि जब जानकी केवल अंगूठा लगाना जानती है तब उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 10.11.2022 में हस्ताक्षर कैसे किये।

38. इस तर्क के संबंध में स्पष्ट करना है कि साक्षी जानकी का यह कथन वह केवल अंगूठा लगाना जानती है, का यह तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता कि वह हस्ताक्षर करना नहीं जानती,अपितु इसका यह निष्कर्ष निकाला जायेगा, कि वह ज्यादा पढी लिखी नहीं है और वह स्वयं लिख नहीं सकती । इस बिन्दु पर यह स्पष्ट करना है कि साक्षी पी0डब्लू01 जानकी ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ साक्ष्य में भी अपने हस्ताक्षर बनाये हैं। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क बलहीन है और स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

39. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन अपने साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323 सपठित धारा 34 व धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तथा धारा 308, 354, 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त प्रमोद लगायें गयें आरोप अन्तर्गत धारा 308,354,504 भारतीय दण्ड संहिता से तथा अभियुक्ता रेखा आरोप अन्तर्गत धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता से दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

40. अभियुक्तगण प्रमोद व रेखा लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 तथा धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

41. अभियुक्तगण जमानत पर है। उनका निजी बन्ध पत्र व जमानतनामे निरस्त किए जाते है तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

42. अभियुक्तगण प्रमोद व रेखा को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

43. सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली थोडी देर बाद पेश हो।

दिनांकः13.08.2026

(चन्द्र विजय श्रीनेत)
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–14,बुलन्दशहर
आई0डी0 क्रमांक–यू0पी0–6277

44. पत्रावली दण्ड़ के प्रश्न पर सुने जाने हेतु कुछ देर बाद पेश हुई। सिद्धदोषगण प्रमोद एवं रेखा न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हैं। सिद्धदोषगण, उनके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला

शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को दण्ड़ के प्रश्न पर सुना।

45. सिद्धदोषगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि सिद्धदोषगण का यह प्रथम अपराध है। उनके घर में उनके छोटे बच्चे हैं,जिनकी देखभाल करने वाला उनके अलावा कोई नहीं है। अतः उन्हें धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुये परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

46. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से अभियुक्तगण के परिवीक्षा पर छोड़े जाने का विरोध करते हुये कहा है कि अभियुक्तगण किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, उनके द्वारा महिला के साथ मारपीट की गयी है। अतः उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।

47. इस प्रकरण में सिद्धदोषगण प्रमोद व रेखा की दोषसिद्धि धारा–323 सपठित धारा 34 तथा 506 भा0द0सं0 के अपराध में की गयी है। सिद्धदोषगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास पत्रावली पर नहीं है। प्रथम दोषसिद्धि है तथा धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम की परिधी में मामला आता है।

48. संहिता की धारा–360 केवल ऐसे व्यक्तियों से जो 21 वर्ष से कम आयु के नहीं है केवल जुर्माने से या सात वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाते हैं, या 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है, के लिए दोषसिद्ध किये जाते हैं,सम्बन्ध रखती है।

49. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4 का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। यह किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है, जिसे ऐसा अपराध कारित करने का दोषी पाया जाता है, जो मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है।

50. **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4** कतिपय अपराधियों का सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति– जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियां को जिनके अन्तर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुये उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन हो तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी वह न्यायालय उसे तुरन्त दण्डित करने के बजाय, निदेश दे सकेगा कि उसे, प्रतिभूओं के सहित या उसके बिना, उसके द्वारा ऐसा बन्धपत्र देने पर छोड़ दिया जाये कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान, जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे, आहूत किये जाने पर उपस्थित होगा और दण्डादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा।

51. उभयपक्ष को सुनने व मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्धगण की दोषसिद्धि धारा–323 सपठित धारा 34 व 506

भा0द0सं0 में होने सम्बन्धी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये धारा–360 द0प्र0सं0 सपठित धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत अभियुक्तगण को दण्डादेश देने के बजाय उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ा जाना न्याय संगत होगा।

आदेश

1. अभियुक्त प्रमोद को धारा 354,308,504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्ता रेखा को धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

3. सिद्धदोषगण प्रमोद व रेखा की दोषसिद्धि धारा–323 सपठित धारा 34 एवं धारा 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 6माह के परिवीक्षा अवधि के लिये मुक्त किया जाता है।

4. सिद्धदोषगण प्रमोद एवं रेखा को निर्देशित किया जाता है कि वे परिवीक्षा अवधि के दौरान सदाचार एवं नेक चाल चलन तथा शांति बनाये रखेगे और किसी प्रकार की आपराधिक घटना में न तो लिप्त होगे और न ही किसी आपराधिक घटना की पुर्नावृत्ति करेगे।

5. सिद्धदोषगण प्रमोद एवं रेखा द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि किसी प्रकार का अपराध कारित किया जाता है या उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये बन्धपत्र का उल्लघंन किया जाता है तो उन्हें पुनः तलब कर सजा के बिन्दु पर सुनवाई पर दण्डित किया जायेगा।

6. सिद्धदोषगण प्रमोद व रेखा प्रत्येक द्वारा सदाचार तथा नेक चाल चलन बनाये रखने के संबंध में बीस हजार का व्यक्तिबन्धपत्र व समान की राशि की एक प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. जिला परिवीक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर को निर्देशित किया जाता है कि वह सिद्धदोषगण प्रमोद एवं रेखा द्वारा प्रस्तुत बन्धपत्र व जमानत प्रपत्रों की जॉच कर, परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक माह में एक बार अपने समक्ष उपस्थित कराया जाना सुनिश्चित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सिद्धदोषगण परिवीक्षा अवधि के दौरान पुनः किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त तो नहीं हैं।

8. आदेश की एक प्रतिलिपि परिवीक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाये। सिद्धदोषगण प्रमोद एवं रेखा दस दिन के अन्दर जिला परिवीक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष जमानत प्रपत्र व बन्धपत्र प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हो।

दिनांकः13.08.2026

(चन्द्र विजय श्रीनेत)
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट) /
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–14,बुलन्दशहर
आई0डी0 कमांक–यू0पी0–6277

निर्णय तथा आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांकः13.08.2026

(चन्द्र विजय श्रीनेत)
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–14,बुलन्दशहर
आई0डी0 कमांक–यू0पी0–6277